



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 29-2017/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2017 (MAGHA 27, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

प्रशासकीय सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 फरवरी, 2017

संख्या 7/31/2014-3 ए०आर०.- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3 ए० आर०, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3 ए० आर०, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में, अनुसूची में,-

- (i) खाना 1 में, क्रम संख्या 59 के सामने, खाना 3 में, मद (iii) तथा (iv) के सामने, खाना 4 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी; अर्थात् :-

4
"97 दिन
167 दिन"

- (ii) क्रम संख्या 178 से 186 के सामने, खाना 4 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेगी; अर्थात्:-

4
"60 दिन
60 दिन
60 दिन
60 दिन
60 दिन
60 दिन
60 दिन
60 दिन
60 दिन
60 दिन"

डी० एस० देसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 16th February, 2017

No. 7/31/2014-3AR.— In exercise of powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Haryana Right to Service commission hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR, dated 15th February, 2016, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, in schedule,—

- (i) Under Column 1, against serial number 59, under Column 3, against items (iii) and (iv), in column 4 for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

4
"97 days
167 days"

- (ii) Under Column 1, against serial numbers 178 to 186, under column 4, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

4
"60 days
60 days
60 days
60 days
60 days
60 days
60 days
60 days
60 days
60 days"

D.S. DHESI,
Chief Secretary to Government, Haryana,



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 39-2017/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 2, 2017 (PHALGUNA 11, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

प्रशासकीय सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 मार्च, 2017

संख्या 7/31/2014-3ए0आर0.— हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में, अनुसूची में,—

- (i) क्रम संख्या 108 के सामने, खाना 4 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी; अर्थात् :-

4
"15 दिन"

- (ii) क्रम संख्या 112 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"112 क	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	विद्यमान सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण	15 दिन	जिला रजिस्ट्रार	राज्य रजिस्ट्रार	महारजिस्ट्रार
112 ख		कॉलजियम की योजना का अनुमोदन	15 दिन	जिला रजिस्ट्रार	राज्य रजिस्ट्रार	महारजिस्ट्रार
112 ग		फर्म के नाम में परिवर्तन	7 दिन	जिला रजिस्ट्रार	राज्य रजिस्ट्रार	महारजिस्ट्रार
112 घ		फर्म का विघटन	7 दिन	जिला रजिस्ट्रार	राज्य रजिस्ट्रार	महारजिस्ट्रार
112 ड		हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम 1) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन आवश्यक वार्षिक विवरणियां दायर करना	30 दिन	जिला रजिस्ट्रार	राज्य रजिस्ट्रार	महारजिस्ट्रार

112 च		शासकीय निकायों/ सामान्य निकायों की बैठकों का प्रस्ताव	30 दिन	जिला रजिस्ट्रार	राज्य रजिस्ट्रार	महारजिस्ट्रार
112 छ		हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम 1) की धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन कॉलजियम के चुने गये सदस्यों की सूचना के लिए सूची का प्रस्तुतिकरण	15 दिन	जिला रजिस्ट्रार	राज्य रजिस्ट्रार	महारजिस्ट्रार
112 ज		हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के सदस्यों का नामांकन	30 दिन	जिला रजिस्ट्रार	राज्य रजिस्ट्रार	महारजिस्ट्रार
112 झ		सहायता अनुदान प्रबन्धन	30 दिन	जिला रजिस्ट्रार	राज्य रजिस्ट्रार	महारजिस्ट्रार

डी० एस० देसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 2nd March, 2017

No. 7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014(4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, in the Schedule;

- (i) against serial number 108, under column 4 for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

4
"15 days";

- (ii) after serial number 112, under columns 1,2,3,4,5,6 and 7, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"112 A	Industries and Commerce	Registration for an existing Society	15 days	District Registrar	State Registrar	Registrar General
112 B		Approval of scheme of Collegium	15 days	District Registrar	State Registrar	Registrar General
112 C		Change in name of the Firm	07 days	District Registrar	State Registrar	Registrar General
112 D		Dissolution of Firm	07 days	District Registrar	State Registrar	Registrar General
112 E		Filling of mandatory annual returns u/s 50(1) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Act 1 of 2012)	30 days	District Registrar	State Registrar	Registrar General

112 F		Resolution of Governing Body/General Body meetings	30 days	District Registrar	State Registrar	Registrar General
112 G		Submission of list of elected Collegium members for information u/s 30(3) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Act 1 of 2012)	15 days	District Registrar	State Registrar	Registrar General
112 H		Enrolment of members of Society registered under the Haryana registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Act 1 of 2012)	30 days	District Registrar	State Registrar	Registrar General
112 I		Grant in Aid management	30 days	District Registrar	State Registrar	Registrar General"

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government Haryana.